

आवंटन

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे.

जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
हापुड़, शामली तथा सम्बल।

संख्या १/२०१५/१५/२०१५-१/४७ : लखनऊ: दिनांक ०७ मई, 2015

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-101-पंचायती राज-03-जिला पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सविव, पंचायती राज, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1019/33-३-2015-100(7)/2015, दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में नवसृजित जनपद हापुड़, शामली तथा सम्बल में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के स्थापना हेतु सृजित पदों के वेतनादि में व्यय हेतु धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार प्रस्ताव ₹ 3094629/- (₹ तीस लाख चौरान्नवे हजार छ: सौ उनत्तीस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1- आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरण: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एक मुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेंजिंग स्वीकृत आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा। जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

4- आवंटित की जा रही धनराशि का आवंटन (एलाटोगेट) गात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन गागलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य रस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो, उन मामलों में व्यय के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवध्य प्राप्त कर ली जाय।

5- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1-1195/दस-16/४ दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में भित्तव्यिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तार-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-101-पंचायती राज-03-जिला पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8- नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

9- कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी०एम०-४ में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी०एम०-४ पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथां विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

10- यदि बी०एम०-४ में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।

कृ०प०उ०

11— यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रताण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

12— एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक द्वी लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के दौर बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

13— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य—लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्थानी से आयोजनागत शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेष्ठकर होगी।

14— आवंटित की जा रही धनराशि से एरियर का भुगतान कदापि न किया जाय।

15— संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

1— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0—4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटोर्नेंट आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग—1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2— प्रारम्भिक व्याधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 10-02-2016 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3— व्याधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15-02-2016 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4— वर्ष 2015-16 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 20-02-2016 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—98 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

०७.५.१५
(उदयवीर सिंह यादव)

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/ /1/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1—प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2—प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2 उ0प्र0 शासन।

3—महालेखाकार सी0पी0 सी0 2 उ0प्र0 इलाहाबाद।

4—महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।

5—वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल. 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।

6—मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, शामली, सम्भल तथा हापुड़।

7—स्स0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

१५
(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016
आवंटन दिनांक-07/05/2015

I-sha-11-1-2015-1-47-2015

001-47-2015

14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
2515 - अन्य शास्त्र विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज

03 - जिला पंचायत प्रशासन


(धनराशि रु. में)

S.No.अधिकारी/जलपाद कालाम	01-वेतन	03-संदर्भ क्रमांक	04-याचा उपय	06-मन्य कार्य उच्चार	08-कार्यालय	09-विद्युत खर्च	10-कलंक/ जल नकार	11-तेजन समझी और करने की छपाई	12-किरण, प्रशुल्क भूर कर-मत्राविवर	13-विवरण
1 हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-- प्रगामी 359774	359774	426544	6000	35977	20000	4000	3000	6000	5000	846295
2 शास्त्री-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-- प्रगामी 259700	259700	293461	6000	25970	20000	4000	3000	6000	5000	623131 623131
3 हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-- प्रगामी 709050	709050	801237	6000	70906	20000	4000	3000	6000	5000	1625203 1625203
योग प्रगामी 328534	328534	1501242	18000	132853	60000	12000	9000	18000	15000	3094629 3094629

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रुपया तीस लाख चौरानवे हजार छ. सौ उन्नीस
रुपया तीस लाख चौरानवे हजार छ. सौ उन्नीस


(महान्त नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी